कार्यालय जिला कलक्टर नागौर

क्रमांक प.1(सी)संस्था/2020/ 1060 दिनांक 22-2-20

आदेश

अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आया है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान इस कार्यालय से पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना ही अवकाश/मुख्ययालय से प्रस्थान कर दिया जाता है, जिसके कारण आवश्यक विधानसभा प्रश्नों का प्रत्युत्तर भिजवाने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः समस्त जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विधानसभा सत्र समाप्त होने तक निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेः–

1. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं स्थानीय निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारीगण विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यालय पर ही उपस्थित रहेगें।
2. अत्यावश्यक परिस्थितियों में अवकाश पर प्रस्थान करने एवं मुख्यालय छोड़ने से पूर्व इस कार्यालय की पूर्वानुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति या सूचना के मुख्यालय नहीं छोड़ा जायेगा।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे। निर्देशों की अवहेलना करने अथवा बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर,नागौर

क्रमांक सम/ 1061-1154
दिनांक 22-2-20

प्रतिलिपि–

1. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी ————————————————————
2. उपखण्ड अधिकारी, ——————————समस्त
3. विकास अधिकारी,——————————समस्त
4. तहसीलदार,——————————समस्त
5. आयुक्त, नगर परिषद, नागौर/मकराना
6. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल,————————समस्त
7. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय हाजा
8. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग नागौर को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त आदेश को जिले की बेवसाईट www.nagaur.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, नागौर को प्रचार प्रसार हेतु

जिला कलक्टर
नागौर